मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल,

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 2-11-2017

क्रमांक/एफ/3-8/2014/26-2 / **प्रदेश में** निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) **अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार** निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास के उद्देश्य से निःशक्त **विवाह प्रोत्साहन योजना 2008** (संशोधित योजना वर्ष 2013) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

कण्डिका 3.1 यदि दम्पत्ति में से एक निःशक्त तथा एक सामान्य है तो ऐसे विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु रूपये 2.00 लाख प्रोत्साहन राशि दी जावेगी तथा यह राशि तभी देय होगी, जब विवाह सक्षम अधिकारी के यहां पंजीकृत हो और उसके द्वारा विवाह प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, अन्यथा राशि देय नहीं होगी ।

कण्डिका 3.2 युवक एवं युवती दोनों के निःशक्त होने पर संयुक्त रूप से दम्पत्ति को रूपये 1.00 लाख सहायता राशि दी जावेगी ।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(बबीता वसुनिया)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म.प्र.

पृष्ठां.क्रमांक/एफ/2-8/2015/26-2 भोपाल दिनांक 2-11-2017

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मान्नीय मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मध्यप्रदेश.
2. आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, म0प्र0
3. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश.
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश.
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश.
6. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश.
7. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अवर सचिव
म0प्र0 शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
म0प्र0.